न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 03/प्रार्थना–पत्र/2016
दायरा 10.10.2016

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़(राज0)
– प्रार्थी

बनाम्

1. धन्ना पुत्र रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
2. जगन्नाथ पुत्र रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
3. नेनकीलाल पुत्र पांथूजी जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना खण्ड झालावाड़
5. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खानपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 19/09/2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 175–177 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175–177 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेरखेड़ा जमाबंदी सं0 2071से 2074 की खतौनी सं0 66 की ख0नं0 28 रकबा 3.17 बीघा, ख0नं0 29 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 40/589 रकबा 0.15 बीघा, ख0नं0 98 रकबा 10.09 बीघा, ख0नं0 121 रकबा 8.13 बीघा, ख0नं0 348 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 408 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 443 रकबा 1.03 बीघा, ख0नं0 447 रकबा 1.06 बीघा, ख0नं0 448 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 449 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 450 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 451 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 452 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 14 रकबा 36.12 बीघा आराजी धन्ना, जगन्नाथ पिता रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा खातेदार रहन जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा सी.बी.आई शाखा खानपुर ख0नं0 28 व 29 को छोड़कर रहन धन्ना का 1/2 हिस्सा सी.बी. आई. शाखा खानपुर के खाते दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2071–74 की प्रमाणित प्रतिलिपी है। इस प्रकार यह भूमि अनुसूचित जन जाति के खातेदार के नाम दर्ज है। अप्रार्थी नं0 1, 2 धन्ना व जगन्नाथ पिता रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा ने आराजी ख0नं0 28 रकबा 3.17 बीघा, ख0नं0 29 रकबा 6.00 बीघा कुल 9.17 बीघा अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल पुत्र पांथूजी जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तहसील खानपुर को 10660 रू0 अक्षरे दस हजार छः सौ साठ रूपये में बैचान कर दी है। बैचान का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके दिनांक 28.06.1981 को एक किता 10 रू0 का स्टॉम्प तहरीर किया तथा उस पर धन्ना व जगन्नाथ ने अँगूठा निशानी किया है और गवाहान ने भी अपने हस्ताक्षर किये हैं। खातेदार द्वारा तहरीर किया गया असल स्टॉम्प की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। जगन्नाथ को झग्गा के नाम से भी पुकारते हैं, जबकि अनुसूचित जन जाति वर्ग के खातेदार की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति के बैचान नहीं हो सकती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन कर बैचान किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

धारा 42 का उल्लंघन कर उक्त अवैधानिक तरीके से बैचान करने के बाद केता व विकेता उक्त आराजी पर खातेदार नहीं रह गये है।

वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा राजकीय प्रकरण होने से प्रकरण न्यायालय शुल्क से मुक्त है। माननीय न्यायालय के राजस्व वाद सं0 1153/2015 में दिनांक 03.10.2016 को जवाबदावा प्रस्तुत करने पर उक्त अनियमितता के बारे में जानकारी होने पर रेकार्ड संकलित कर प्रकरण पेश है जो उक्त कारण से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना है कि वाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी ग्राम खेरखेड़ा के खसरा सं0 28 रकबा 3.17 बीघा, ख0नं0 29 रकबा 6.00 बीघा कुल 2 किता रकबा 9.17 बीघा को सिवायचक दर्ज करने व अप्रार्थीगण 1, 2, 3 को उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 4 लगा0 6 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं0 1, 2 ने स्वंय उपस्थित जवाब पेश किया कि हम आराजी के खातेदार टीनेंट हैं, जिन्होंने आराजी का कोई बैचान नहीं किया है और हमारे कब्जे काश्त में है। प्रस्तुत स्टॉम्प हमारी खातेदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। वहीं अप्रार्थी नं0 3 ने प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुये उसे निरस्त करने हेतु जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। दौराने सुनवाई अप्रार्थी नं0 1, 2 ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अस्वीकार करते हुये प्रार्थी ने जवाब पेश किया। तत्पश्चात उभय पक्ष को बहस का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु पर्याप्त अवसर के बाद भी अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर कोई बहस नहीं की। दिनांक 17.09.2019 को अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर बहस प्रार्थी/पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने अपनी एक पक्षीय बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हमारा प्रार्थना–पत्र धारा 175–177 आर0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत है, जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। अप्रार्थीगण 1, 2 ने अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के समर्थन में कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किया है। ऐसे में अप्रार्थीगण 1, 2 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावे। वहीं ग्राम खेरखेड़ा की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 66 की 14 किता की 36.12 बीघा आराजी धन्ना, जगन्नाथ पिता रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा के खाते दर्ज है, जो अप्रार्थी नं0 1, 2 हैं। खातेदारान भील जाति से हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। खातेदारान/अप्रार्थी 1, 2 ने दिनांक 28.06.1981 को अपने खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में से ख0नं0 28 की 3.17 बीघा, ख0नं0 29 की 6.00 बीघा कुल 2 किता की 9.17 बीघा आराजी का बैचान 10660/–रू0 में अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल पुत्र पांथू जाति गूजर निवासी खेरखेड़ा को बैचान किया है, जिसकी जाति गूजर है, जो अनुसूचित जन जाति का न होकर सामान्य जाति का है। उक्त आराजी पर मौके पर कब्जा अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल का है। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों की पुष्टि अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल द्वारा धारा 88 आर.टी.एक्ट के अर्न्तगत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत उद्घोषणा के वाद सं0 1153/2015 बउनवान नेनकीलाल बनाम् धन्ना से भी होती है। यह वाद अप्रार्थी नं0 3 द्वारा विड्रो किये जाने से दिनांक 23-01-18 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार इस प्रकरण में अनुसूचित जन जाति के खातेदार द्वारा अपने खाते की आराजी का बैचान अनुसूचित जन जाति से भिन्न/सामान्य गूर्जर जाति के व्यक्ति को किया गया है। इस बैचान में धारा 42(ख) आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी 2 किता की 9.17 बीघा को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा बहस में प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी/अप्रार्थीगण 1, 2 ने पर्याप्त अवसर के बाद भी अपने प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी

पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, अपितू अप्रार्थीगण जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। वहीं प्रार्थी/राज्य सरकार का प्रार्थना–पत्र धारा 175–177 आर0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत है, जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। ऐसे में प्रार्थी/अप्रार्थी नं0 1, 2 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। यहां ग्राम खेरखेड़ा जमाबंदी सं0 2071से 2074 की खतौनी सं0 66 की ख0नं0 28 रकबा 3.17 बीघा, ख0नं0 29 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 40/589 रकबा 0.15 बीघा, ख0नं0 98 रकबा 10.09 बीघा, ख0नं0 121 रकबा 8.13 बीघा, ख0नं0 348 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 408 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 443 रकबा 1.03 बीघा, ख0नं0 447 रकबा 1.06 बीघा, ख0नं0 448 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 449 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 450 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 451 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 452 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 14 रकबा 36.12 बीघा आराजी धन्ना, जगन्नाथ पिता रतना जाति भील निवासी खेरखेड़ा के खाते दर्ज है। खातेदारों की जाति भील है, जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। अप्रार्थी नं0 1, 2/खातेदार धन्ना, जगन्नाथ ने दिनांक 28.06.1981 को अपने खाते की ख0नं0 28 की 3.17 बीघा, ख0नं0 29 की 6.00 बीघा कुल 2 किता की 9.17 बीघा आराजी का बैचान 10660/–रू0 में अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल गुर्जर को किया है, जो अनुसूचित जन जाति से भिन्न गुर्जर जाति का सदस्य है। गूर्जर जाति सामान्य श्रेणी में आती है। अप्रार्थी नं0 3 नेनकीलाल गूर्जर ने उक्त बैचाननामा एवं कब्जे के आधार पर धारा 88 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत उद्घोषणा का वाद सं0 1153/2015 बउनवान नेनकीलाल बनाम् धन्ना अप्रार्थी नं0 1, 2 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश किया था जो वादी/ अप्रार्थी नं0 3 द्वारा विड्रो किये जाने से दिनांक 23.01.18 को खारिज हो चुका है। उपरोक्त विवेचन अनुसार इस प्रकरण में अनुसूचित जन जाति "भील" खातेदार/विकेता द्वारा अपने खाते की आराजी का बैचान अनुसूचित जन जाति से भिन्न "गूर्जर" जाति के विकेता को किया गया है। इस बैचान में धारा 42(ख) आर0टी0एक्ट 1955 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है। आर0टी0एक्ट 1955 की धारा 42(ख) विशेष विधि है, जिसे एस.सी./एस.टी. के हकों को सुरक्षित करने के लिये बनाया गया है। ऐसे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175–177 आर0टी0एक्ट 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1, 2 के खाते की ग्राम खेरखेड़ा जमाबंदी सं0 2071 से 2074 की खतौनी सं0 66 की 14 किता रकबा 36.12 बीघा में से ख0नं0 28 की 3.17 बीघा, ख0नं0 29 की 6.00 बीघा कुल 2 किता की 9.17 बीघा आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने व कब्जा राज लिये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हेतू तहसीलदार खानपुर को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 19/09/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)